

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1566]

नई दिल्ली, बृस्पतिवार, जून 23, 2016/आषाढ़ 2, 1938

No. 1566]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 23, 2016/ASHADHA 2, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(आयकर)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2016

का.आ. 2183(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (23 ड.ड.) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा 'कोर सेटलमेंट गारंटी फंड', जिसकी स्थापना इंडियन क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई, जो कि एक मान्यता प्राप्त क्लियरिंग कारपोरेशन है, के द्वारा की गई है, को आकलन वर्ष 2016-17 और उसके बाद के आकलन वर्षों के लिए अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 50 /2016, फा.सं. 197/47/2015-आईटीए-1]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक